एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

NMDC Limited
(A Govt. of India Navratna Enterpirse)

हीरा खनन परियोजना, मझगवाँ
पन्ना – 488001 (मध्यप्रदेश)
Diamond Mining Project, Majhgawan
Panna - 488001 (Madhya Pradesh)
ने.प.सं./CIN-L13100AP1958GOI001674

DMP/ADMN/DAV/Extn./2021/

Date: 01.02.2023

This is to certify that DAV Public School, Majhgawan, District Panna (Madhya Pradesh) is being run by DAV College Trust & Management Society under an agreement with National Mineral Development Corporation Limited, a Government of India Undertaking. The Corporation has provided all necessary facilities including land, building & other amenities for the proper running of the school and is also meeting the total deficit on running the school. The school is functioning to our full satisfaction.

Project Manager
श्रीधर कोडाली/SREEDHAR KODALI
परियोजना प्रबंधक/PROJECT MANAGER
एनएमडीसी लिमिटेड/NMDC LIMITED
हीरा खनन परियोजना/DIAMOND MINING PROJECT
मझगवां,जिला-पन्ना (म.प्र.)/MAJHGAWAN, DIST-PANNA(M.P.)

हिन्दी में पत्राचार का स्वागत है

दूरभाष/Phone: 07732-271234 फैक्स/Fax: 07732-271474 ई-मेल/E-mail: dmppersonnel@nmdc.co.in
पंजीकृत कार्यालय /Regd. Office: 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद – 500173
वेबसाइट/Website: www.nmdc.co.in

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक :- 20/08/

क्रमांक-1229/107/2019/12/1 :- विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक 4789/609/12 दिनांक 30.08.1969 से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) लिमिटेड के पक्ष में जिला पन्ना के ग्राम मझगंवा एवं हिनौता के रकवा 162.631 हे. क्षेत्र पर खनिज हीरा हेतु अवधि दिनांक 01.07.1970 से 30.06.1990 तक अर्थात् 20 वर्ष के लिये खनिपट्टा स्वीकृत होकर अनुबंधित था। तदोपरांत खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन दिनांक 12.01.2015 की धारा 8(क) में विहित प्रावधानो के अनुकम में विभागीय परिपत्र कमांक एफ 19-5/2015/12/1 भोपाल दिनांक 12.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम मझगंवा एवं हिनौता के रकबा 162.631 हे. क्षेत्र पर खनिज हीरा हेतु प्रथम नवकरण सहित अवधि 01.07.1970 से 30.06.2020 तक अर्थात् कुल 50 वर्ष तक के लिये खनिपट्टा की अवधि विस्तारित/समयावृद्धि की गई।

हीरा कार्यालय, जिला पन्ना का पत्र कमांक 149/खनिपट्टा/न.क./2019 पन्ना दिनांक 19.06.2019 से हीरा खनन परियोजना, मझगंवा अंतर्गत ग्राम मझगंवा एवं हिनौता के कुल रकवा 162.631 हे. क्षेत्र पर खनिज हीरा हेतु अवधि 01.07.2020 से 30.06.2040 तक अर्थात् 20 वर्ष के लिये खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 यथा संशोधन दिनांक 27.09.2019 के नियम 3(3) के तहत खनिपट्टा की अवधि विस्तारित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मय सहपत्रों सहित संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित किया गया।

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. द्वारा अवगत कराया गया है कि, एन.एम.डी.सी. को प्रश्नाधीन खनिपट्टा दिनांक 01.07.1970 से स्वीकृत होकर अनुबंधित है। प्रथम नवकरण सहित कुल अवधि 50 वर्ष दिनांक 30.06.2020 को पूर्ण हो रही है। जिला कार्यालय के प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज हीरा उपलब्ध है। एन.एम.डी.सी. भारत सरकार का एक सरकारी उपकम है। अतः खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के परिप्रेक्ष्य में शेष अवधि 20 वर्ष के लिये अर्थात् 01.07.2020 से 30.06.2040 तक के लिये खनिपट्टा की अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अभिमत / अनुशंसा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया।

एन.एम.डी.सी. द्वारा भारतीय खान ब्यूरो से खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन दिनांक 12.01.2015 की धारा 5(2)(बी) के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान की अनुमोदित प्रति विभाग को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तावित खनिपट्टा का विस्तारित क्षेत्र रकबा 162.631 हे. क्षेत्र एक से अधिक खंडो में होने से खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 संशोधन दिनांक 12.01.2015 की धारा 6(1)(सी) के तहत शिथिलीकरण प्रदान किया जाना आवश्यक है।

एन.एम.डी.सी. के पक्ष में ग्राम मझगंवा एवं हिनौता के कुल रकवा 113.332 हे. (मुख्य खनिपट्टा) क्षेत्र पर खनिज हीरा हेतु प्रथम एवं द्वितीय नवकरण सहित अवधि 15.07.1965 से 14.07.2025 तक अर्थात् कुल 60 वर्ष तक के लिये खनिपट्टा की अवधि विस्तारित/समयावृद्धि की गई है। इसी खनिपट्टा क्षेत्र में हीरा खनिज धारित किम्बरलाईट पाईप से हीरा खनिज का उत्पादन होता है। प्रश्नाधीन खनिपट्टा रकबा 162.631 हे. (सप्लीमेंट्री खनिपट्टा) क्षेत्र में हीरा खनिज का उत्पादन नहीं होता है। यह खनिपट्टा का क्षेत्र मुख्य खनिपट्टा के क्षेत्र से लगे होने से सुचारू रुप से खनन गतिविधियों के लिये सहयोगी कार्य में उपयोग हेतु लाया जाता है। उक्त आशय को स्पष्ट करने के लिये खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957

Scanned by CamScanner